न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010074002025

Sessions Case/2734/2025

State of U.P. Vs. Krishna

सत्र परीक्षण संख्या 2734/2025

मु0अ0सं0 316/2025
सरकार बनाम ''के' पुत्र रोहताश
अ0 धारा 376(2)एन,506 भा0द0सं0
5–एल/6 पोक्सो एक्ट,
थाना– पिलखुवा ,जिला हापुड

07.01.2026 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त /किशोर अपचारी ''के' पुत्र रोहताश जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त /किशोर अपचारी ''के' पुत्र रोहताश के विरूद्ध धारा 376(2)एन, 506 भा0द0सं0, 5–एल/6 पोक्सो एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 22.01.2026 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 07.01.2026

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.01.13 10:16:44 IST
Reason: charge
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010074002025

Sessions Case/2734/2025

State of U.P. Vs. Krishna

सत्र परीक्षण संख्या 2734/2025

मु0अ0सं0 316/2025
सरकार बनाम ''के' पुत्र रोहताश
अ0 धारा 376(2)एन,506 भा0द0सं0
5–एल/6 पोक्सो एक्ट,
थाना– पिलखुवा ,जिला हापुड

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त /किशोर अपचारी ''के' पुत्र रोहताश पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमत ::– यह कि तहरीर दि0 28.05.2025 के अनुसार करीब 3 वर्ष पूर्व से विभिन्न समय व स्थान पर बहद कस्बा व थाना पिलखुवा जिला हापुड में आपने वादिनी /अव्यस्क पीडिता '' एस'' उम्र करीब 17 वर्ष के साथ कई बार बलात्संग किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 376(2)एन भा0द0सं0 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादिनी /अव्यस्क पीडिता '' एस'' को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 506 भा0द0सं0 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादिनी /अव्यस्क पीडिता '' एस'' उम्र करीब 17 वर्ष पर कई बार प्रवेशन लैंगिक हमला कर ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 5–एल/6 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 07.01.2026

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 07.01.2026